



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935

No. 269]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2014

का.आ. 327 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) भारत सरकार की तारीख 26 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ) का और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 से 32 और उनसे संबंधित प्रविष्टियां निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त

1. डॉ. ए. जयतिलक,
आई.ए.एस.

अध्यक्ष

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त

- | | | |
|----|--|---|
| 2. | रिक्त | सदस्य (लोक सभा से निर्वाचित किए जाने के लिए) |
| 3. | रिक्त | सदस्य (लोक सभा से निर्वाचित किए जाने के लिए) |
| 4. | श्री थंगावेलु संसद सदस्य राज्य सभा | सदस्य |

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के अधीन नियुक्त

- | | | |
|----|---|-------|
| 5. | निदेशक या उप सचिव, निर्यात संवर्धन का प्रभारी (कृषि प्रभाग), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य |
|----|---|-------|

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त

- | | | |
|----|--|-------|
| 6. | श्री संजीव चोपड़ा संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) कृषि और सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली | सदस्य |
|----|--|-------|

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (iii) के अधीन नियुक्त

- | | | |
|----|--|-------|
| 7. | निदेशक या उप सचिव, वित्त प्रभाग के प्रभारी, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य |
|----|--|-------|

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त

- | | | |
|-----|---|-------|
| 8. | श्री विजू जैकब, निदेशक, मै0 सिंथाइट इंडस्ट्रीज लि0, कोलेनचेरी, एर्णाकुलम, केरल | सदस्य |
| 9. | श्री भास्कर शाह, प्रबंधन निदेशक, मै0 जैब्स इण्टरनेशनल प्राइवेट लि0, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र | सदस्य |
| 10. | श्री अजीत थोमस मै0 ए.वी.टी.एम.वी कोर्मिक इनग्रेडियेंट्स प्रा.लि., चेन्नई | सदस्य |

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 11. | श्री ई.के. वासु इल्लीकाल हाउस केल्लर पी.ओ.नेदुमकंदन जिला-इडुक्की, केरल | सदस्य 01/05/2015 तक |
| 12. | श्री कुमारलाल एम.तहिलिआनी साझेदार मै० एशियन खाद्य उद्योग एन. एच. सं. 8 एस्कोर्ट ट्रेक्टर्स के सामने दाबहान नादियाद, के. हेडा, गुजरात | सदस्य |
| 13. | श्री डी.वी.आर.राजीव मोहन मै० आईटीसी लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल | सदस्य |
| 14. | श्री मान सिंह परसोदा मुख्य डाकघर के सामने कर्नल गंज, गुना (मध्य प्रदेश) | सदस्य 01/05/2015 तक |
| 15. | श्री जोजा जार्ज पट्टमकुलम, एस्टेट क्रोटिफकल पी.ओ., कोट्टायम, केरल, | सदस्य |
| 16. | श्री अंजो जोस पूर्व निदेशक, एम ए एस एन्टरप्राइसेज़ केरल | सदस्य |
| 17. | श्री के. जियाउद्दीन अहमद संयुक्त प्रबंधक निदेशक मै० के.सी.पी.एम.सी. लि०, बोधीनायकनूर थेनी, तमिलनाडू | सदस्य |
| नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ड.) के अधीन नियुक्त | | |
| 18. | सुश्री अनिता करनावर अध्यक्ष, ए आर एस इन्टरनेशनल, केरल | सदस्य |
| 19. | सुश्री विजलक्ष्मी, कर्नाटक | सदस्य |
| 20. | डॉ. हातोबिन माई नाहरलगून, अरुणाचल प्रदेश | सदस्य |
| 21. | डॉ. माथ्यू सामुअल कलारिक्कल कलारिक्कल एस्टेट, पुलयनमला इडुक्की जिला, केरल | सदस्य |
| 22. | श्री रावल गोपाल कृष्ण नेकल्लु (पीओ), तुल्लरू मंडल, गुन्टूर जिला, आंध्र प्रदेश | सदस्य |
| 23. | ई. एम. आगस्टनी, एडवोकेट पूर्व एमएलए, इडामानाकुनेल, पी ओ: थोभारायार कट्टापपना, इडुक्की, केरल | सदस्य |

24. श्री बी एम मुनिराजू, सदस्य
चिक्काती ग्राम एवं पोस्ट,
होबली, गुण्डलूपेट तालुक,
कामराज नगर,
कर्नाटक

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त

25. उत्तर प्रदेश राज्य से एक प्रतिनिधि सदस्य

26. आन्ध्र प्रदेश राज्य से एक प्रतिनिधि सदस्य

27. सिक्किम राज्य से एक प्रतिनिधि सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (i) के अधीन नियुक्त

28. श्रीमती सुतापा मजूमदार सदस्य
निदेशक (आई.ई.),
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त

29. निदेशक, सदस्य
भारतीय पैकेजिंग संस्थान,
मुम्बई

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (iii) के अधीन नियुक्त

30. निदेशक, सदस्य
केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान,
मैसूर

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (iv) के अधीन नियुक्त

31. निदेशक, सदस्य
नेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर स्पाइसेज,
कालीकट

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त

32. श्री जॉर्ज करीमात्तोम, सदस्य
करीमात्तोम हाऊस पी.ओ. इडुक्की,
केरल

[फा.सं. 5/10/2012-ईपी(कृषि-V)]

जे.एस. दीपक, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना की अधिसूचना सं. का.आ. 123(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें बाद में संशोधन किया गया:-

1. का.आ. 1159(अ) तारीख 21 जुलाई, 2006
2. का.आ. 424(अ) तारीख 04 मार्च, 2008
3. का.आ. 2161(अ) तारीख 05 सितम्बर, 2008
4. का.आ. 937(अ) तारीख 08 अप्रैल, 2009
5. का.आ. 3081(अ) तारीख 03 दिसम्बर, 2009

6. का.आ. 32(अ) तारीख 07 जनवरी, 2010
7. का.आ. 1439(अ) तारीख 15 जून, 2010
8. का.आ. 8(अ) तारीख 03 जनवरी, 2011
9. का.आ. 501(अ) तारीख 10 मार्च, 2011

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2014

S.O. 327 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following persons as Members of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:—

In the said notification, for serial numbers 1 to 32 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“Appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. A.Jayathilak, IAS. Appointed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4 | Chairman |
| 2. Vacant (To be elected by Lok Sabha) | Member |
| 3. Vacant | Member (To be elected by Lok Sabha) |
| 4. Sh. Thangavelu, Member of Parliament, Rajya Sabha. | Member |
| Appointed under sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4 | |
| 5. Director/Deputy Secretary, Incharge of Export Promotion (Agriculture Division), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi. | Member |
| Appointed under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4 | |
| 6. Shri Sanjeev Chopra, Joint Secretary and Mission Director (NHM), Ministry of Agriculture and Cooperation, Department of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi. | Member |
| Appointed under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4 | |
| 7. Director/Deputy Secretary, Incharge of Finance Division, Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce, New Delhi. | Member |
| Appointed under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4 | |
| 8. Mr. Viju Jacob, Director of M/s. Synthite Industries Ltd., Kolencherry, Ernakulam, Kerala . | Member |

488 GT/14-2

- | | |
|---|-------------------------|
| 9. Mr. Bhaskar Shah, Managing Director , M/s. Jabs International Pvt. Ltd., Navi Mumbai, Maharashtra. | Member |
| 10. Mr. Ajith Thomas, M/s. A.V.T.MV Cormick Ingredients Pvt. Ltd., Chennai . | Member |
| 11. Shri E.K. Vasu, Illikkal House, Kallar P.O., Nedumkandan, Distt. Idukki, Kerala. | Member up to 01/05/2015 |
| 12. Mr. Kumarlal M Thailiani, Partner, M/s. Asian Food Industries, N.H. No. 8, Opp. Escort Tractors, Dabhaan, Nadiad, K. Heda, Gujarat. | Member |
| 13. Mr. D.V.R. Rajiv Mohan, M/s ITC Limited, West Bengal . | Member |
| 14. Shri Man Singh Parsoda, In front of Head Post Office, Colonnel Ganj, Guna, (Madhya Pradesh) . | Member up to 01/05/2015 |
| 15. Sh. Jojo George, Pattamkulam Estate Krottifckal, P.O. Kottayam, Kerala. | Member |
| 16. Mr Anjo Jose , Ex Director, MAS Enterprises, Kerala . | Member |
| 17. Sh K. Zia-ud-Din Ahamed , Joint MD, M/s. K.C.P.M.C. Ltd., Bodinayakanur, Theni, Tamil Nadu . | Member |
| Appointed under clause (e) of sub- rule (1) of rule 4 | |
| 18. Ms. Anita Karnava, President, ARS International, Kerala. | Member |
| 19. Ms. Vijayalaxmi, Karnataka . | Member. |
| 20. Dr. Hatobin Mai, Nahrlagun, Aurnachal Pradesh . | Member |
| 21. Dr. Mathew Samuel Kalarickal, Kalarickal Estate, Pulyanmala, Distt. Idukki, Kerala . | Member |
| 22. Shri Ravel Gopala Krishna, Nekkallu (PO), Thulluru Mandal, Guntur Dist., Andhra Pradesh . | Member |
| 23. Adv. E.M. Augastny, Ex. MLA, Edamanakunnel, Thovarayar PO Kattappana, Idukki, Kerala . | Member |


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2199]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2014/आश्विन 30, 1936

No. 2199]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2014/ASVINA 30, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2750(अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा (3) की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके लोक सभा सदस्य बने रहने तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) भारत सरकार की तारीख 26 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ) का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शीर्षक "नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त" के अंतर्गत क्र. सं. 2 तथा 3 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याओं तथा प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

- | | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 2. | श्री प्रताप सिन्हा, संसद सदस्य, लोक सभा | सदस्य (लोक सभा द्वारा निर्वाचित) |
| 3. | श्री बी. एस. येदियुरप्पा, संसद सदस्य, लोक सभा | सदस्य (लोक सभा द्वारा निर्वाचित)" |

[फा. सं. 5/10/2012-ईपी(एग्री-V)/बागान-घ]

रजनी रंजन रश्मि, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में तारीख 26 फरवरी, 1987 की संख्यांक का.आ. 123(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संख्यांक का.आ. 327(अ), तारीख 3 फरवरी, 2014 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2014

S.O. 2750(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3), of Section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till he ceases to be a member of the Lok Sabha, whichever is earlier, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely :—

In the said notification, under the heading, “Appointed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4”, for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

- | | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| “2. | Shri Prathap Simha, Member of Parliament, Lok Sabha | Member (Elected by Lok Sabha) |
| 3. | Shri B. S. Yeddyurappa, Member of Parliament, Lok Sabha | Member (Elected by Lok Sabha)” |

[F. No. 5/10/2012-EP(Agri-V)/Plant-D]

RAJANI RANJAN RASHMI, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S. O. 123(E), dated the 26th February, 1987 and last by vide number S.O. 327(E), dated the 3rd February, 2014.